अगस्त–सितम्बर सत्र, 2026 के लिए हरियाणा विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

समिति की बैठक बुधवार, 26 अगस्त, 2026 को 05:00 बजे मध्याह्न–पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई। उसमें निम्नलिखित उपस्थित थेः–

1.	श्री हरविन्द्र कल्याण, अध्यक्ष	पदेन चेयरपर्सन
2.	श्री नायब सिंह, मुख्य मंत्री	सदस्य
3.	श्री अनिल विज, ऊर्जा मंत्री	सदस्य
4.	श्री महीपाल ढ़ांडा, संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
5.	श्री कृष्ण कुमार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अन्तोदया (एस.ई.डब्लयु.ए.) मंत्री	सदस्य
6.	श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष	सदस्य
7.	श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.	सदस्य
8.	डॉ० कृष्ण लाल मिढ़ा, उपाध्यक्ष	विशेष आमंत्रित
9.	श्रीमती सावित्री जिंदल, एम.एल.ए	विशेष आमंत्रित

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक वीरवार, 27 अगस्त, 2026 को 11:00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

सोमवार, 31 अगस्त, 2026 को विधान सभा की बैठक 02:00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6:00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

मंगलवार, 01 सितम्बर, 2026 को विधान सभा की बैठक 11:00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 27, 31 अगस्त, 2026 तथा 01 सितम्बर, 2026 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

वीरवार, 27 अगस्त, 2026 (11:00 बजे प्रातः)	1. शोक प्रस्ताव। 2. प्रश्न काल। 3. नियम–30 के निलंबन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव। 4. माननीय अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा घोषणाएं। 5. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 6. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र। 7. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। 8. विधायी कार्य। 9. शून्य काल।
शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026	राजपत्रित अवकाश (रक्षा बंधन)
शनिवार, 29 अगस्त, 2026	अवकाश
रविवार, 30 अगस्त, 2026	अवकाश
सोमवार, 31 अगस्त, 2026 (02:00 बजे मध्याह्न–पश्चात्)	1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल। 3. वर्ष 2026–27 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट। 4. वर्ष 2026–27 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर चर्चा तथा मतदान। 5. विधायी कार्य।

मंगलवार, 01 सितम्बर, 2026
(11:00 बजे प्रातः)

1. प्रश्न काल।
2. शून्य काल।
3. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।
4. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।
5. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से रखे जाने वाले कागज–पत्र।
6. वर्ष 2026–27 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक।
7. विधायी कार्य।
8. कोई अन्य कार्य।

चण्डीगढ़ :
दिनांकित 26 अगस्त, 2026.

हरविन्द्र कल्याण,
अध्यक्ष।

******

चण्डीगढ़ :
दिनांकित 26 अगस्त, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से.,
सचिव।